न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा
पीठासीन अधिकारीः सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्याः–44/2025

प्रार्थीगणः–

1. सुजा उर्फ सुजानसिंह पुत्र नरसींगजी जाति पुरोहित निवासी इटवाया तहसील सिवाना जिला बालोतरा
2. जोइताराम पुत्र नरसींगजी जाति पुरोहित निवासी इटवाया तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगणः–
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :–
श्री कैलाशपुरी अधिवक्ता प्रार्थी

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 14.01.2026

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व की धारा 131–136 के तहत विप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी सुयक्त खातेदारी भूमि सरहद मौजा इटवाया तहसील सिवाना में खसरा संख्या 1239 रकबा 12.4724 हैक्टेयर सर्वे रिसर्वे के पश्चात नवीन खसरा संख्या 529 रकबा 11.7961 हैक्टेयर अवस्थित है। नवीन भू प्रबन्ध के दौरान राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थीगण के खेत की तरमीम 12.4724 के स्थान पर रकबा कम करते हुए 11.7961 हैक्टेयर दर्ज कर दिया तथा उक्त खसरे के बदिशा दक्षिणी की तरफ परिशिष्ट अ में दर्शित ए से डी भाग तक नया रास्ता दर्शा दिया जबकि मौके पर कभी कोई रास्ता न था न ही है प्रार्थीगण द्वारा राजस्व नक्शा की गई उक्त तरमीम को दुरूस्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रकरण दर्ज कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई।

तहसीलदार सिवाना द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार सिवाना के रिपोर्ट से अनुसार ग्राम इटवाया के खसरा संख्या 529 में सर्वे रिसर्वे से पूर्व कोई रास्ता दर्ज नहीं था, सर्वे रिसर्वे के पश्चात विवादित खसरे के उतर दिशा व पश्चिम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

दिशा में रास्ता दर्ज है जो वर्तमान में मौके पर चल रहा है प्रार्थीगण के खेत के दक्षिण दिशा में खसरा संख्या 595 रकबा 0.8620 हैक्टेयर किस्म गै.मु.रास्ता वर्तमान में प्रार्थी के खेत में नही चल रहा है तहसीलदार सिवाना ने खसरा संख्या 595 की किस्म गै.मु. रास्ता के स्थान पर गै.मु. धोरा दर्ज की जाकर खसरा संख्या 596 को खसरा संख्या 529 के साथ दर्ज किया जाना उचित बताया है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तहसीलदार सिवाना के रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर तहसील सिवाना के सरदह मौजा इटवाया के खसरा संख्या 595 रकबा 0.8620 हैक्टेयर भूमि में रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शे मे दर्शित से बिन्दू संख्या ए से बी की किस्म गै.मु.रास्ता के स्थान पर गै.मु. धोरा की जाकर उक्त खसरे को प्रार्थीगण के खसरा संख्या 529 के साथ रखे जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार सिवाना आदेशानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करे।

तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा इस आदेश का अभिन्न रहेगा। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

आदेश आज दिनांक 14.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्रसिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

राजस्थान सरकार **NIC-BHUNAKSHA**

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि) दिनांक : 18/04/2025 03:00:16 PM

...ला : बालोतरा तहसील : सिवाना भू. अ. नि. क्षेत्र : पादरू

...री हल्का : पादरू ग्राम : इटवाया

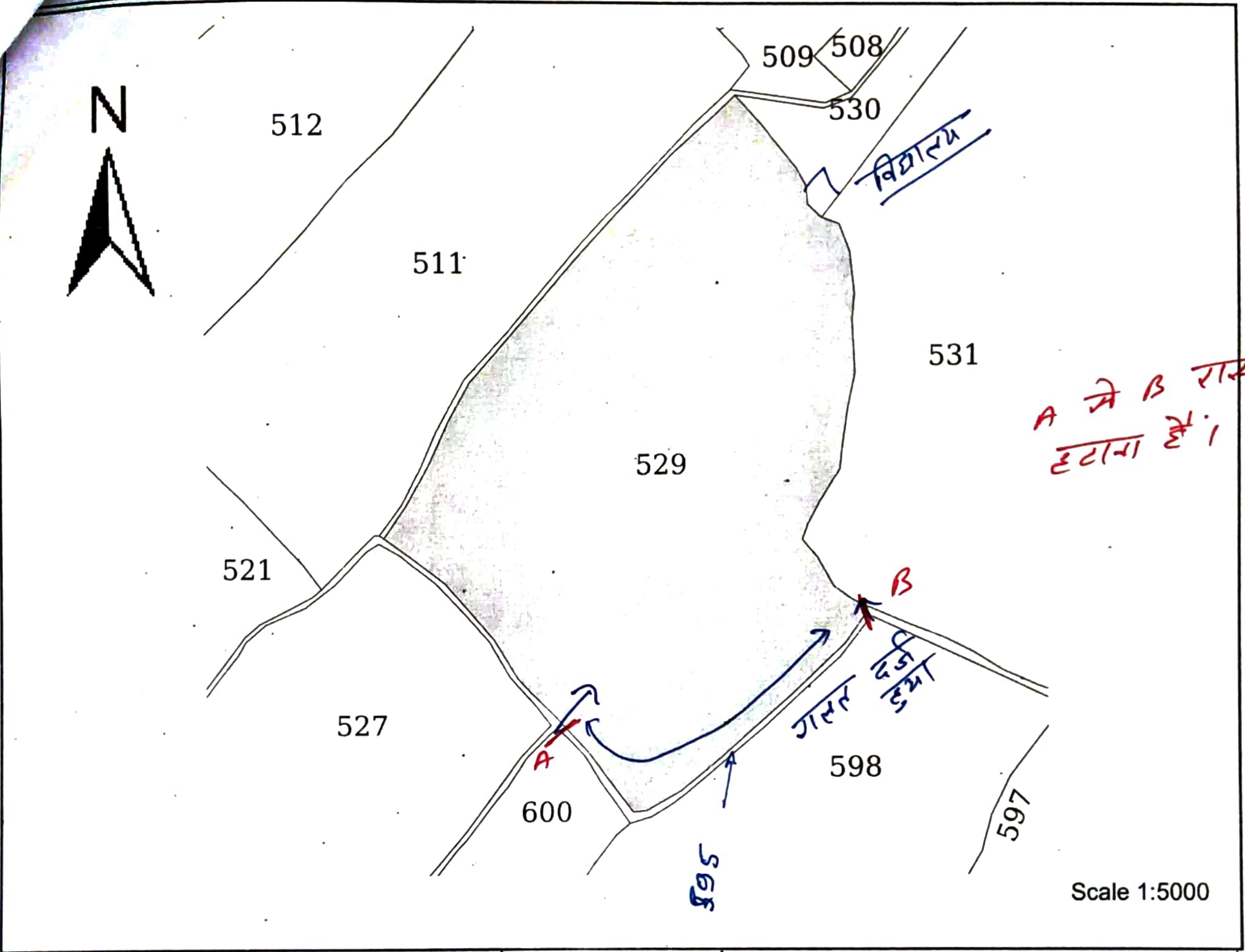

खसरा संख्या :529 क्षेत्रफल : 11.7961 Hectare खाता संख्या : 239पुराना खाता संख्या :236

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: धोरा [11.7961, 17.70]

1.) जोईता पुत्र नरसिंगा हिस्सा- 1/2 जाति- पुरोहित सा. देह खातेदार हिस्सा-1/2 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा पादरू

2.) सुजा पुत्र नरसिंगा हिस्सा- 1/2 जाति- पुरोहित सा. देह खातेदार हिस्सा-1/2 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा पादरू

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

पटवारी (भू.अ.)

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।